प्राचार्य का कार्यालय : श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

कार्यवाही प्रतिवेदन

इस चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के सुगम संचालन हेतु प्राचार्य के अध्यक्षता में अधीक्षक, उपाधीक्षक एवं सभी विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 11.06.2024 को आयोजित की गयी है जिसमें भिन्न–भिन्न विषय बिन्दुओ पर सामुहिक सहमति बनी।

1. क्लीनिकल जाँच के संबंध में निर्णय लिया गया कि एम0सी0एच0 एवं पी0आई0सी0यू0 में अधिष्ठापित सी0बी0सी0 5 पार्ट एनेलाईजर (ट्रान्सीसिया) एवं दो इलेक्ट्रोलाईट मशीन है। प्रथम सेन्साकोर जिसमें लिथियम की जाँच होती है एवं दूसरी मशीन ट्रान्सीसिया की है, जिसमें सोडियम, पोटासिमय एवं क्लोराईड की जाँच होती है। इस वित्तीय वर्ष में रसायन मद में मात्र 500000 रूपया स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा आवंटित किया गया है, जिसमें पूर्व के वित्तीय वर्षो के लंबित विपत्रों का भुगतान किया गया है अभी भी पूर्व के वित्तीय वर्ष का लगभग 20,00000.00 रूपये के विपत्रों का भुगतान लंबित है। कमिटी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि ए0ई0एस0 एवं अन्य रोगों की जाँच के संबंध मे व्यवधान न हो एवं निर्बाध रूप से जाँच कार्य चलता रहे के कम में अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में उपलब्ध आवंटन से ही रसायन का कय करते हुए एम0सी0एच0 एवं पी0आई0सी0यू0 में उपलब्ध करायेंगे तथा भविष्य में भी अधीक्षक के मद से ही रसायनों की आपूर्ति की जायेगी।
2. इस संस्थान परिसर में अवस्थित आवास आवंटन के संबंध में निर्णय लिया गया है कि सभी कोटि के आवासों (पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों) में 50 प्रतिशत आवंटन प्राचार्य के स्थापना से एवं 50 प्रतिशत आवंटन अधीक्षक के स्थापना से की जायेगी।
3. एन0एम0सी0, नई दिल्ली के न्यूनतम मानक के तहत जर्नल का कय किया जाना अत्यावश्यक है, जिसके लिए मॉग पत्र हेतु पत्र निर्गत किया गया था, पुनः मॉग पत्र हेतु पत्र निर्गत करते हुए निविदा की कार्रवाई प्रारंभ की जाय।
4. इस संस्थान में पूर्व के विद्युत लोड के अनुपात में अब लोड बढ़ गया है, जिसके लिए विद्युत विभाग को अग्रतर कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित की जाय।
5. इस संस्थान में जनरेटर आपूर्तिकर्ता के द्वारा दी जा रही आपूर्ति को वित्तीय वर्ष 2024–25 के कार्य हेतु अवधि विस्तार पूर्व के निर्धारित दर पर किया जाता हैं।
6. इस संस्थान में मिनी बस आपूर्तिकर्ता के द्वारा दी जा रही आपूर्ति को वित्तीय वर्ष 2024–25 के कार्य हेतु अवधि विस्तार पूर्व के निर्धारित दर पर किया जाता हैं।
7. लिथियम जॉच मानसिक रोगियों के लिए एवं प्रोथ्रोम्बिन जॉच आकस्मिकी एवं आई0सी0यू0 में भर्ती मरीजों के लिए अतिआवश्यक हैं। इन जॉचों से संबंधित रसायनों एवं किट के लिए बी0एम0एस0आई0सी0एल0 को मॉग पत्र भेजा जाय।
8. मरीजहित में इस संस्थान में बल्ड कल्चर मशीन उपलब्ध होने तक जॉच करने हेतु होमी भाभा कैंसर अस्पताल से जॉच हेतु अनुरोध किया जाय।
9. प्राचार्य के अध्यक्षता में इस संस्थान में फायर सेफ्टी कमिटी का गठन किया जाय, जिसमें अधीक्षक, उपाधीक्षक एवं फायर नोडल पदाधिकारी सदस्य रहेंगे। कमिटी के सदस्यों के द्वारा फायर स्टेशन हेतु स्थल का चयन कर जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को पत्र प्रेषित करेंगे।

15/6/24 15/6/24

10. एन0एम0सी0, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के आलोक में आभा आई0डी0 द्वारा मरीजों का रजिस्ट्रेशन हेतु अधीक्षक को अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

ह0/–

प्राचार्य,

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,

मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:– 1083/24 दिनांक:– 15/06/2024.

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– दोनो उपाधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी विभागाध्यक्ष, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रभारी प्राध्यापक (प्र0)/बरसर/पुस्तकालय सचिव, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– कॉलेज वेबसाईट, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Abha Rani Sinha 15/6/24.

प्राचार्य,

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,

मुजफ्फरपुर